रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29092022-239207
CG-DL-E-29092022-239207

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 656] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 29, 2022/आश्विन 7, 1944
No. 656] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 29, 2022/ ASVINA 7, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2022

सं. 02/2022-स्वापक नियंत्रण-1

सा.का.नि. 738(अ).—स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ नियमावली, 1985 के नियम 8 के अनुसरण में, केन्द्र सरकार, एतद्वारा, 1 अक्तूबर, 2022 को आरंभ होने वाले और 30 सितम्बर, 2023 को समाप्त होने वाले अफीम फसल वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार की ओर से अफीम पोस्त की खेती के लिए लाइसेंसों की मंजूरी हेतु नीचे विनिर्दिष्ट सामान्य शर्तों को अधिसूचित करती है:-

1. खेती करने के स्थान

किसी भी ऐसे भूखंड में पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस दिया जा सकता है जिसे केन्द्र सरकार द्वारा इस निमित अधिसूचित किया जाए।

2. खेती हेतु पात्रता

इस अधिसूचना के खण्ड 3 और 7 के अध्यधीन रहते हुए निम्नलिखित व्यक्ति **लाइसेंस के माध्यम से अफीम-गोंद प्राप्त करने के लिए** पोस्त की खेती के लाइसेंस हेतु पात्र होंगे-

(i) वे किसान जिन्होंने फसल वर्ष 2021-22 के दौरान अफीम पोस्त की खेती की थी और उनके मार्फीन की औसत उपज **4.2 कि.ग्रा/हे.** से कम नहीं थी ।

टिप्पणी :-प्रति हेक्टेयर किग्रा में मार्फीन के अवयव की औसत अर्हक उपज को इस अधिसूचना में एतश्मिन पश्चात न्यूनतम अर्हक उपज (एमक्यूवाई-एम) कहा जाएगा।

(ii) किसान जिन्होंने इससे संबंधित प्रावधानों के अनुसार केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो की देखरेख में फसल वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान अपनी संपूर्ण पोस्त की फसल की जुताई की हो, परन्तु जिन्होंने इसी तरह फसल वर्ष 2018-19 के दौरान अपनी सम्पूर्ण पोस्त फसल की जुताई नहीं थी।

(iii) किसान जिनकी लाइसेंस मंजूर न करने के खिलाफ अपील को फसल वर्ष 2021-22 में निपटान की अंतिम तारीख के बाद अनुमति दे दी गई हो।

(iv) किसान जिन्होंने फसल वर्ष 2021-22 अथवा किसी अगले वर्ष में पोस्त की खेती की हो और जो अनुवर्ती वर्ष में लाइसेंस के लिए पात्र थे, किन्तु किसी कारणवश, लाइसेंस प्राप्त/जारी न किया हो अथवा, जिन्होंने अनुवर्ती फसल वर्ष में लाइसेंस प्राप्त करने के बाद किसी कारणवश अफीम पोस्त की खेती वास्तव में न की हो।

(v) किसान जिनको कि किसी दिवंगत पात्र किसान ने फसल वर्ष 2021-22 के लिए फॉर्म सं. 1 (देखें नियम 7) के कॉलम 11 में नामित किया गया हो।

(vi) जिला अफीम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद मृत पात्र कृषकों के कानूनी वारिसों में से एक, ऐसे मामलों में किसी भी कारण से किसान के विधिक उत्तराधिकारी को फॉर्म सं. 1 में नामित नहीं किया गया हो या किसी फसल वर्ष में फॉर्म सं. 1 में जिस व्यक्ति को नामित किया गया है वह पारिवारिक सदस्य/रक्त संबंध की परिभाषा के अतंर्गत नहीं आते हों।

नोटः कृषकों में उनके कानूनी उत्तराधिकारी भी शामिल हैं

3. लाइसेंस की शर्तें

किसी भी किसान को तब तक लाइसेंस मंजूर नहीं किया जाएगा जब तक वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा न करता हो/करती हो:-

(i) उसने फसल वर्ष 2021-22 के दौरान पोस्त की खेती के लिए लाइसेंसशुदा वास्तविक क्षेत्र से 5% 'क्षम्य क्षेत्र' से अधिक क्षेत्र में खेती न की हो।

(ii) उसने कभी भी अफीम पोस्त की अवैध खेती न की हो तथा स्वापक औषधि तथा मन:प्रभावी द्रव्य पदार्थ अधिनियम, 1985 और उसके अंतर्गत बनाये गए नियमों के अंतर्गत उस पर किसी अपराध के लिए किसी सक्षम न्यायालय में आरोप नहीं लगा सिद्ध किया गया हो।

(iii) फसल वर्ष 2021-22 के दौरान उसने केन्द्रीय नार्कोटिक्स ब्यूरो/नार्कोटिक्स आयुक्त द्वारा किसानों को जारी किन्हीं विभागीय अनुदेशों का उल्लंघन नहीं किया हो।

4. अधिकतम क्षेत्र

(i) सभी पात्र किसानों में से प्रत्येक को 0.10 हेक्टेयर के लिए लाइसेन्स दिया जायेगा।

(ii) लाइसेंस प्राप्त करने वाले किसान दो से अधिक भू-खंडों में अफीम, पोस्त की बुआई कर सकते हैं;

(iii) कास्तकारों को यदि वे चाहें तो, लाइसेंस प्राप्त करने के लिए, पट्टे पर, दूसरों की भूमि लेने की अनुमति दी जाएगी।

5. पूर्व चेतावनी

(i) आने वाले वर्ष 2023-24 में अफीम पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की पात्रता हेतु फसल वर्ष 2022-23 के दौरान **5.9 किलोग्राम मार्फीन प्रति हेक्टेयर** की न्यूनतम अर्हक उपज देना जरूरी है।

(ii) वर्ष 2022-23 के दौरान दी गई अफीम में मार्फीन की मात्रा को फसल वर्ष 2022-23 के भुगतान का आधार माना जा सकता है, यदि सरकार इस बारे में निर्णय ले।

(iii) ऐसे किसान जिन्होंने फसल वर्ष 2019-20 2020-21 और 2021-22 के दौरान अपनी पूरी फसल की जुताई कर दी थी उनको फसल वर्ष 2023-2024 के लिए लाइसेंस का पात्र नहीं माना जाएगा, यदि उन्होंनें फसल वर्ष 2022-23 में भी पुन: अपने फसलों की पूरी तरह जुताई कर दी हो।

(iv) भविष्य में, यदि सरकार अतिरकक्त लाइसेंस देना चाहती है तो वह उन किसाने के रद्द किए गए लाइसेंस को पुन: दे सकती है जिन्होंने ऐसी अफीम/मार्फिन की आपूर्ति की थी जिनकी लगातार 5 वर्ष में कुल एमक्यूवाई/एमक्यूवाई-एम (अगले फसल वर्ष के लिए लाइसेंस के लिए निर्धारित) के कुल 108 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक का कुल औसत था।

6. माफी योग्य सीमाः

यदि खेती किया गया वास्तविक क्षेत्र लाइसेंसशुदा क्षेत्र से 5 प्रतिशत तक अधिक है तो ऐसा अधिक क्षेत्र क्षम्य हो सकता है।

7. विविध

(i) जो किसान वर्ष 2022-23 के दौरान अफीम पोस्त की खेती अपने भू-खंड पर अथवा दूसरों से पट्टे पर लिये गये भू-खंड पर करता है, भू-खंड के स्वामी का ब्यौरा, सर्वेक्षण संख्या और स्वापक आयुक्त द्वारा निर्देशित अन्य ब्यौरा प्रदान करेगा।

(ii) इन सामान्य लाइसेंसिंग शर्तों से नार्कोटिक्स आयुक्त/नार्कोटिक्स उपायुक्त के किसी भी लाइसेंस को जारी करने/उसे रोकने के अधिकार को उस स्थिति में कोई क्षति नहीं पहुंचती जब कभी स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार ऐसा करना ठीक समझा जाए।

(iii) लाइसेंस इस शर्त पर दिया जाएगा कि किसी भी खेत को सरकार द्वारा अथवा सरकार द्वारा विशिष्ट संस्था अथवा एजेंसी के साथ सहयोग करके किये जाने वाले अनुसंधान के प्रयोजनार्थ अधिगृहित किया जा सकता है। जिस किसान के खेतों को अनुसंधान के लिए चुना जाएगा उसका अगले वर्ष लाइसेंस मंजूर करने पर विचार किया जाएगा बशर्ते उसने निर्धारित न्यूनतम अर्हक उपज प्रस्तुत की हो और वह अन्यथा पात्र हो। अनुसंधान हेतु चुने गए क्षेत्र को उपज की गणना करते समय लेखे में नहीं लिया जाएगा।

(iv) लाइसेंस इस अतिरिक्त शर्त के अध्यधीन होगा कि अफीम को निकाले बिना पोस्त भूसी प्राप्त करने के लिए किसी भी खेत को चुना जा सकता है। जिन किसानों के खेत ऐसे उपयोग के लिए चुने जाएंगे वे अन्यथा पात्र होने पर अगले फसल वर्ष के लिए लाइसेंस के लिए पात्र होंगे।

(v) किसी किसान द्वारा सौंपी गई अफीम की मात्रा की गणना राजकीय अफीम एवं क्षारोध कार्यशाला, नीमच अथवा गाजीपुर में किए गए विश्लेषणों के आधार पर 70 डिग्री गाढ़ेपन पर की जाएगी।

(vi) ऐसे किसान जिनका किसी विशेष गांव में अफीम की खेती का लाइसेंस है लेकिन वे पास के लगे दूसरे गांव के निवासी हैं तो उनको अपने आवास पर अफीम को इकटट्ठा करने की अनुमति होगी बशर्ते की ऐसी मानव बस्ती और गांव के बीच लगातार आना जाना होता हो।

(vii) यदि अफीम की नीति अंग्रेजी और हिन्दी के संस्करणों में परस्पर विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी संस्करण ही अधिमान्य होगा।

[फा.सं. एन-14011/3/2022-एनसी.I]

टी के सतपथी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th September, 2022

No. 02 /2022-Narcotics Control-1

G.S.R. 738(E).—In pursuance of rule 8 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985, the Central Government hereby notifies the general conditions for grant of license specified below **for cultivation of opium poppy for obtaining opium gum through lancing** on account of the Central Government during the Opium Crop Year Commencing on the 1st day of October, 2022 and ending with the 30th day of September, 2023.

1. **Place of Cultivation**

Opium poppy cultivation may be licensed in any tract as may be notified in this behalf by the Central Government.

2. **Eligibility for Cultivation**

Subject to clauses 3 and 7 of this notification, the following shall be eligible for a license to cultivate **opium poppy for obtaining opium gum through lancing:**

(i) Cultivators who had cultivated opium poppy during the crop year 2021-22 and tendered an average yield of Morphine (MQY-M) not less than **4.2 kg per hectare**.

Note- *Average qualifying yield of Morphine in opium tendered in kilograms per hectare will be termed as Minimum Qualifying Yield (MQY-M) in the notification hereinafter.*

(ii) Cultivators who ploughed back their entire poppy crop cultivated during the crop year, 2019-20, 2020-2 1 & 2021-22 under the supervision of the Central Bureau of Narcotics in accordance with the provisions in this regard, but had not similarly ploughed back their entire poppy crop during 2018-19.

(iii) Cultivators whose appeal against refusal of License has been allowed after the last date of settlement in the crop year 2021-22.

(iv) Cultivators who were eligible for a license for the crop year 2021-22, but did not obtained/issued license for any reason, or who after having obtained a license, did not actually cultivate opium poppy due to any reason.

(iv) Cultivator who is nominated by deceased eligible cultivator in column No. 11 in Form No. 1 (see rule 7) for the crop year 2021-22.

(v) One of legal heirs of deceased eligible cultivators as determined by the District Opium Officer after following the due process, in the cases where nomination in Form No.1 is not made for any reason or nomination of person not falling under definition of family members/blood relatives in Form No. 1 is made.

Note: - *Cultivators include their legal heirs also*

3. **Conditions of License**

No cultivator shall be granted license unless he/she satisfies that:

i. He / She did not, in the course of actual cultivation, exceed the area licensed for poppy cultivation during the crop year 2021-22 beyond the *5%* 'Condonable Limit' allowed in the licensing policy.

ii. He/she did not at any time resort to illicit cultivation of opium poppy and was not charged in any competent court for any offence under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, and the Rules made there under.

iii. He/she did not during the crop year 2021-22 violate any departmental instructions issued by the Central Bureau of Narcotics/ Narcotics Commissioner to the cultivators.

4. **Maximum Area**

i. All eligible cultivators will be issued license of 0.10 Hectare :

ii. Cultivators getting license can sow opium poppy in not more than two plots.

iii. Cultivators will be permitted to take on lease, land belonging to others, to make up the licensed area, if they so desire.

5. **Forewarning**

i. A minimum qualifying yield (MQY –M) of **5.9 Kg Morphine/ Hectare of Morphine** in opium tendered should be achieved during the crop year 2022-23 to become eligible for a license to cultivate opium poppy in the following year i.e. 2023-24.

ii. Morphine content of opium tendered during 2022-23 may become the basis for payment for the crop year 2022-23, if the Government decides to do so in this regard.

iii. Cultivators who had fully ploughed back their entire poppy during crop year 2019-20, 2020-21 and 2021-22 would not be entitled for license in the crop year 2023-24, if they also plough back their crop fully in the crop year 2022-23.

iv. In future, if Government intends to grant additional licenses, it may consider re-licensing of de-licensed cultivators who had tendered opium/ Morphine having total average equal to or more than 108 percent of the total of MQY/ MQY-M (fixed for licensing in the next crop year) for last five consecutive tendered years.

6. **Condonable Limit:**

If the area actually cultivated is up to 5% in excess of the licensed area, such excess cultivation maybe condoned.

7. **Miscellaneous**

i. Any cultivator who cultivates opium poppy during 2022-23 in his own land or in the land leased from others shall provide details of owner of the plot, survey number and any other details as may be directed by the Narcotics Commissioner.

ii. These General Licensing conditions are without prejudice to the right of the Narcotics Commissioner/ Deputy Narcotics Commissioner to issue/ withhold a license whenever it is deemed proper so to do in accordance with the provisions of the Narcotic Drugs & Psychotropic Substances Act, 1985 and the Rules made thereunder.

iii. The license will be subject to the condition that any field may be taken over for any research that may be conducted by the Government directly or in collaboration with any specialized Institution or Agency. The cultivator whose field is selected for research shall be considered for license for the next year, if he has tendered the stipulated MQY and is otherwise eligible. The area taken over for research will not be taken into account while calculating the yield.

iv. The license shall be subject to the further condition that any field may be selected for obtaining poppy straw without extraction of opium. The cultivators whose fields are selected for such use shall be eligible for a license for the next crop year, if otherwise eligible.

v. For the purpose of making payment of opium tendered by the cultivator, the quantity of opium tendered by a farmer will be calculated at 70° consistency, on the basis of analysis by the Government Opium and Alkaloid Works, Neemuch or Ghazipur.

vi. In respect of cultivators having opium cultivation license in a particular village but are having residence in adjacent village, such cultivators may be allowed to store opium in their residence, provided that there is continuous human settlement between such villages.

vii. If there is difference in any para of Hindi version of opium policy 2022-23 then English version of same shall be followed.

[F.No. N-14011/3/2022-NC.I]

T.K. SATPATHY, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.09.29 18:29:20 +05'30'

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13102022-239617
CG-DL-E-13102022-239617

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 688]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 13, 2022/आश्विन 21, 1944
No. 688]	NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 13, 2022/ASVINA 21, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 2022

सा.का.नि. 774(अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना, संख्या 2/2022-स्वापक नियंत्रण -1, दिनांक 28 सितंबर, 2022, जिसे सा.का.नि. संख्या 738 (अ), दिनांक 28 सितंबर, 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के पैरा 2 (iv), (iv), (v) के स्थान पर क्रमशः पैरा 2 (iv), (v) और (vi), पढ़ें।

[फा. सं. एन-14011/3/2022-एनसी.I]

दिनेश बौद्ध, निदेशक (स्वापक नियंत्रण)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 13th October, 2022

G.S.R. 774(E).—In the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance, Department of Revenue, No. 2/2022-Narcotics Control-1, dated the 28th September, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 738 (E), dated the 28th September, 2022, *for* Para 2 (iv), (iv), (v), *read*, Para 2 (iv), (v) and (vi) respectively.

[F. No. N-14011/3/2022-NC.I]

DINESH BOUDDH, Director (Narcotics Control)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.10.13 16:00:35 +05'30'

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29092022-239208
CG-DL-E-29092022-239208

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 657]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 29, 2022/आश्विन 7, 1944
No. 657]	NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 29, 2022/ ASVINA 7, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर,2022

सं.03/2021- स्वापक नियंत्रण-।

सा.का.नि. 739(अ).—स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ नियमावली, 1985 के नियम 8 के अनुसरण में, केन्द्र सरकार, एतद्वारा, 1 अक्तूबर, 2022 से आरंभ होने वाले और 30 सितम्बर, 2023 को समाप्त होने वाले अफीम फसल वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार की ओर से पोस्त भूस, जिससे लांसिंग करने पर रस न निकले, के उत्पादन के लिए अफीम पोस्त की खेती के लिए लाइसेंसों की मंजूरी हेतु नीचे विनिर्दिष्ट सामान्य शर्तों को अधिसूचित करती है:-

1. खेती करने के स्थान

किसी भी ऐसे भूखंड में पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस दिया जा सकता है जिसे केन्द्र सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया जाए।

2. **खेती हेतु पात्रता**

इस अधिसूचना के खण्ड 3 और 7 के अध्यधीन रहते हुए निम्नलिखित पोस्त भूस, जिससे लांसिंग करने पर रस न निकले, के उत्पादन के लिए अफीम पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस हेतु पात्र होंगे-

(i) वे किसान जिन्होंने फसल वर्ष 2021-22 में पोस्त भूस, जिसके लांसिंग करने पर रस न निकले, के उत्पादन के लिए अफीम पोस्त की खेती की थी और उन्होने मापन केंद्र पर पोस्त भूस को जमा भी करा दिया था:

(ii) वे किसान जिन्होंने फसल वर्ष 2021-22 में मार्फीन की औसत उपज (MQY-M) 3.0 किलोग्राम/ हेक्टेयर या इससे अधिक लेकिन 4.2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से कम जमा कराई हो:

(iii) वे किसान जोकि लांसिंग के बाद अफीम के गोंद को प्राप्त करने के लिये अफीम पोस्ट की खेती करने के लिये लाइसेन्स प्राप्त करने के पात्र हों, बशर्ते कि वे स्वेच्छा से यह विकल्प लें कि वे ऐसे पोस्ट भूस के उत्पादन के लिये अफीम पोस्त की खेती करेंगे जिसकी लंसिंग से उसका रस न निकलता हो:

(iv) वे किसान जिन्हों से फसल वर्ष 2021-22 में अपनी सम्पूर्ण खड़ी पोस्ट फसल की इस बारे में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार तथा केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो की निगरानी में जुताई करा दी हो:

(v) वे किसान जोकि फसल वर्ष 2021-22 में लाइसेन्स पाने के पात्र थे लेकिन किसी कारण से वे लाइसेन्स प्राप्त नहीं कर पाये या लाइसेन्स जारी नहीं किया जा सका, या जिन्होने लाइसेन्स जारी होने के बाद भी किसी कारण से अफीम की खेती वास्तव में नहीं की थी:

(vi) वे किसान जिनके लाइसेन्स को फसल वर्ष 1999-2000 से 2021-22 के दौरान इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि उन्होने घटिया किस्म की अफीम जमा कराई थी लेकिन नीमच या गाजीपुर के सरकारी अफीम क्षारोद कारख़ाना में किए गए परीक्षण से पता चला कि उनमें मोर्फीन का अवयव 6% से अधिक था:

(vii) ऐसे किसान जिनके लाइसेन्स को फसल वर्ष 1998-99 से फसल वर्ष 2020-21 के दौरान रद्द कर दिया गया हो लेकिन उन्होने ने लाइसेन्स के रद्द किए जानेवाले वर्ष को मिलाकर लगातार चार वर्षो तक ऐसी औसत अफीम/मोर्फीन जमा कराई हो जिनमें कुल MQY (अगले वर्ष की लाइसेंसिंग के लिए निर्धारित) के 100% या इससे अधिक हो। किसी कानूनी उत्तराधिकारी को लाइसेन्स अंतरित किए जाने के मामले में मृतक किसान के द्वारा किए गए जमा के औसत पर भी जमा की जानेवाली अफीम के कुल औसत की गणना करते समय ध्यान दिया जायेगा:

(viii) मृतक किसान के कानूनी उत्तराधिकारियों में से ऐसा कोई भी उत्तराधिकारी जिसे विधिवत प्रक्रिया का अनुपालन करने के बाद निर्धारित किया गया हो और वह फसल वर्ष 1999-2000 से लाइसेन्स का पात्र हो, लाइसेन्स प्राप्त नहीं कर पायेगा यदि उसके यहाँ कानूनी उत्तराधिकार को लेकर कोई विवाद चल रहा हो:

(ix) ऐसे किसान जिनका ,एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत किसी सक्षम अदालत में - किसी अपराध के लिए आरोप/आरोपों के आधार पर लाइसेंस समाप्त कर दिया गया हो और सक्षम अदालत द्वारा उक्त मामले/ मामलों में उन्हें बरी कर दिया गया हो व 31 जुलाई, 2022 तक ये आदेश अनंतिम हो चुके हों, तब ऐसे किसान भी अफीम पोस्त की खेती करने के लिए लाइसेंस के पात्र होंगे बशर्ते कि वे अन्य सभी शर्तों की पूर्ति पर करते हों अदालत के निर्णय व इस आशय की घोषणा की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करें।

नोट:- *किसानों की श्रेणी में उनके कानूनी उत्तराधिकारी भी आते हैं।*

3. लाइसेंस की शर्तें

किसी भी किसान को तब तक लाइसेंस मंजूर नहीं किया जाएगा जब तक वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा न करता हो/करती हो:-

(i) उसने फसल वर्ष 2021-22 के दौरान पोस्त की खेती के लिए लाइसेंसशुदा वास्तविक क्षेत्र से 5% 'क्षम्य क्षेत्र' से अधिक क्षेत्र में खेती न की हो।

(ii) उसने कभी भी अफीम पोस्त की अवैध खेती न की हो तथा स्वापक औषधि तथा मन:प्रभावी द्रव्य पदार्थ अधिनियम, 1985 और उसके अंतर्गत बनाये गए नियमों के अंतर्गत उस पर किसी अपराध के लिए किसी सक्षम न्यायालय में आरोप नहीं लगा सिद्ध किया गया हो।

(iii) फसल वर्ष 2021-22के दौरान उसने केन्द्रीय नार्कोटिक्स ब्यूरो/नार्कोटिक्सआयुक्त द्वारा किसानों को जारी किन्हीं विभागीय अनुदेशों का उल्लंघन नहीं किया हो।

4. अधिकतम क्षेत्र

(i) सभी पात्र किसानों में से प्रत्येक को 0.10 हेक्टेयर के लिए लाइसेन्स दिया जायेगा।

(ii) कोई भी किसान दो भू-खंडों से अधिक में अफीम की खेती नहीं कर पायेगा।

(iii) यदि किसान चाहें तो उनको दूसरों के स्वामित्व वाले भूखंडो को पट्टे पर लेने की अनुमति दी जा सकती है, ताकि उतनी जमीन पर खेती कर सकें जितने के लिए लाइसेंस दिया गया है।

5. लाइसेन्स की अवधि

(i) पोस्ट भूस जिसके लांसिंग से रस न निकलता हो, के उत्पादन के लिये अफीम पोस्त की खेती के लिये लाइसेन्स इसके जारी होने से पाँच फसल वर्षों के लिये जारी किया जाएगा अर्थात इसे फसल वर्ष 2027-28 से जारी किया जाएगा और फसल वर्ष 2027-28 तक वैध रहेगा।

(ii) लाइसेन्स अवैध हो जाएगा यदि :-

क. किसान अवैध क्रियाकलापों में लिप्त पाया जाता है,

ख. एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत किसान को आरोप-पत्र दे दिया जाता है,

ग. वह अफीम पोस्त की खेती के बारे में जारी किए गए विभागीय दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया हो

घ. स्वेच्छा से लासेन्स को सीबीएन को वापस कर दिया हो।

6. पूर्व चेतावनी

(i) वर्ष 2022-23 के दौरान दी गई अफीम में मार्फीन की मात्रा को फसल वर्ष 2022-23 के भुगतान का आधार माना जा सकता है, यदि सरकार इस बारे में निर्णय ले।

(ii) जिन किसानों ने लगातार तीन फसल वर्षों तक अपनी फसल की जोताई करा दी हो, अगले फसल वर्ष के लिये लाइसे4एनएस के पात्र नहीं होंगे।

7. माफी योग्य सीमाः

यदि खेती किया गया वास्तविक क्षेत्र लाइसेंसशुदा क्षेत्र से 5 प्रतिशत तक अधिक है तो ऐसा अधिक क्षेत्र क्षम्य हो सकता है।

8. विविध

(i) जो किसान वर्ष 2021-22 के दौरान अफीम पोस्त की खेती अपने भू-खंड पर अथवा दूसरों से पट्टे पर लिये गये भू-खंड पर करता है, भू-खंड के स्वामी का ब्यौरा, सर्वेक्षण संख्या और स्वापक आयुक्त द्वारा निर्देशित अन्य ब्यौरा प्रदान करेगा।

(ii) इन सामान्य लाइसेंसिंग शर्तों से नार्कोटिक्स आयुक्त/नार्कोटिक्स उपायुक्त के किसी भी लाइसेंस को जारी करने/उसे रोकने के अधिकार को उस स्थिति में कोई क्षति नहीं पहुंचती जब कभी स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार ऐसा करना ठीक समझा जाए।

(iii) लाइसेंस इस शर्त पर दिया जाएगा कि किसी भी खेत को सरकार द्वारा अथवा सरकार द्वारा विशिष्ट संस्था अथवा एजेंसी के साथ सहयोग करके किये जाने वाले अनुसंधान के प्रयोजनार्थ अधिगृहित किया जा सकता है। जिस किसान के खेतों को अनुसंधान के लिए चुना जाएगा उसका अगले वर्ष लाइसेंस मंजूर करने पर विचार किया जाएगा बशर्ते उसने निर्धारित न्यूनतम अर्हक उपज प्रस्तुत की हो और वह अन्यथा पात्र हो। अनुसंधान हेतु चुने गए क्षेत्र को उपज की गणना करते समय लेखे में नहीं लिया जाएगा।

(iv) लाइसेंस इस अतिरिक्त शर्त के अध्यधीन होगा कि अफीम को निकाले बिना पोस्त भूसी प्राप्त करने के लिए किसी भी खेत को चुना जा सकता है। जिन किसानों के खेत ऐसे उपयोग के लिए चुने जाएंगे वे अन्यथा पात्र होने पर अगले फसल वर्ष के लिए लाइसेंस के लिए पात्र होंगे।

(v) किसी किसान द्वारा सौंपी गई अफीम की मात्रा की गणना राजकीय अफीम एवं क्षारोध कार्यशाला, नीमच अथवा गाजीपुर में किए गए विश्लेषणों के आधार पर 70 डिग्री गाढ़ेपन पर की जाएगी।

(vi) ऐसे किसान जिनका किसी विशेष गांव में अफीम की खेती का लाइसेंस है लेकिन वे पास के लगे दूसरे गांव के निवासी हैं तो उनको अपने आवास पर अफीम को इकटट्ठा करने की अनुमति होगी बशर्ते की ऐसी मानव बस्ती और गांव के बीच लगातार आना जाना होता हो।

(vii) यदि अफीम की नीति 2022-23 अंग्रेजी और हिन्दी के संस्करणों में परस्पर विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी संस्करण ही अधिमान्य होगा।

[फ़ा. सं. एन-14011/3/2022-एनसी. I]

टी के सतपथी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th September, 2022

No. 03/2022-Narcotics Control-1

G.S.R. 739(E)—In pursuance of rule 8 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985, the Central Government hereby notifies the general conditions for grant of license specified below for cultivation of **opium poppy for production of Poppy Straw from which no juice is extracted through lancing** on account of the Central Government during the Opium Crop Year Commencing on the 1st day of October, 2022 and ending with the 30th day of September, 2023.

1. Place of Cultivation

Opium poppy cultivation may be licensed in any tract as may be notified in this behalf by the Central Government.

2. Eligibility for Cultivation

Subject to clauses 3 and 7 of this notification, the following shall be eligible for a license to cultivate **<u>opium poppy for production of Poppy Straw from which no juice is extracted through lancing:</u>**

i. Cultivators who had cultivated opium poppy for production of Poppy Straw from which no juice is extracted through lancing during the crop year 2021-22 and tendered poppy straw at weighment centre.

ii. Cultivators who have tendered an average yield of Morphine (MQY-M) **3.0 kg per hectare and above but less than 4.2 kg per hectare** in crop year 2021-22.

iii. Cultivators who are eligible for license under opium poppy cultivation for obtaining opium gum after lancing, if they opt voluntarily to cultivate opium poppy for production of Poppy Straw from which no juice is extracted through lancing.

iv. Cultivators who ploughed back their entire poppy crop cultivated during the crop year 2021-22 under the supervision of the Central Bureau of Narcotics in accordance with the provisions in this regard.

v. Cultivators who were eligible for a license for the crop year 2021-22 but did not obtained/issued a license for any reason, or who after having obtained a license, did not actually cultivate opium poppy due to any reason.

vi. Cultivators who were de-licensed during crop year 1999-2000 to 2021-22 on the grounds of tendering inferior opium but their morphine content was found more than 6% in the test results of the Government Opium Alkaloid Works at Neemuch or Ghazipur.

vii. Cultivators who were de-licensed in the crop year since 1998-99 to crop year 2021-22 provided they have tendered average opium/Morphine having total average equal/equivalent to or more than 100 percent the total of MQY (fixed for licensing in the next crop year) for last four tendered years including the year of de licensing. In case of transfer of license to legal heir, average tendering by deceased cultivators would be taken into account for computation of total of averages of opium tendered.

viii. One of the legal heirs of deceased cultivators, as determined by the District Opium Officer after following the due process, who were eligible for license since crop year 1999-2000 however could not obtain license due to dispute in deciding legal heir.

ix. Cultivators who were de-licensed on the ground of charge/charges in any competent court for any offence under NDPS Act, 1985 and the Rules made there under provided that they have been acquitted by the competent court of Law in said case/ cases and such order/orders of acquittal has become final as on 31st July 2022, subject to production of certified copy of judgment and declaration to this effect.

Note:- *Cultivators include their legal Heirs also*

3. Conditions of License

No cultivator shall be granted license unless he/she satisfies that:

i. He/She did not, in the course of actual cultivation, exceed the area licensed for poppy cultivation during the crop year 2021-22 beyond the 5% ‘Condonable Limit’ allowed in the licensing policy.

ii. He/she did not at any time resort to illicit cultivation of opium poppy and was not charged in any competent court for any offence under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, and the Rules made there under.

iii. He/she did not during the crop year 2021-22 violate any departmental instructions issued by the Central Bureau of Narcotics/ Narcotics Commissioner to the cultivators.

4. Maximum Area

i. All eligible cultivators will be issued license of 0.10 Hectares each.

ii. Cultivators can sow opium poppy in not more than two plots.

iii. Cultivators will be permitted to take on lease, land belonging to others, to make up the licensed area, if they so desire.

5. Period of license

i. License to cultivate opium poppy for production of Poppy Straw from which no juice is extracted through lancing will be issued for five crop years from the issuance i.e. license issued to cultivators for crop year 2022-23 will remain effective till crop year 2027-28.

ii. License will remain in force until cultivator

a. is found involved in illicit activities,

b. is charge sheeted under NDPS act,

c. violate the departmental instructions related to opium poppy cultivation.

d. voluntarily surrender license before CBN.

6. Forewarning

i. Morphine content of opium tendered during 2022-23 may become the basis for payment for the crop year 2022-23, if the Government decides to do so in this regard.

ii. Cultivators who fully ploughed back their entire poppy crop for consecutive e three crop years would not be entitled for license in the next crop year.

7. Condonable Limit:

If the area actually cultivated is up to 5% in excess of the licensed area, such excess cultivation maybe condoned.

8. Miscellaneous

i. Any cultivator who cultivates opium poppy during 2022-23 in his own land or in the land leased from others shall provide details of owner of the plot, survey number and any other details as may be directed by the Narcotics Commissioner.

ii. These General Licensing conditions are without prejudice to the right of the Narcotics Commissioner/ Deputy Narcotics Commissioner to issue/ withhold a license whenever it is deemed proper so to do in accordance with the provisions of the Narcotic Drugs & Psychotropic Substances Act, 1985 and the Rules made thereunder.

iii. The license will be subject to the condition that any field may be taken over for any research that may be conducted by the Government directly or in collaboration with any specialized Institution or Agency. The cultivator whose field is selected for research shall be considered for license for the next year, if he has tendered the stipulated MQY and is otherwise eligible. The area taken over for research will not be taken into account while calculating the yield.

iv. The license shall be subject to the further condition that any field may be selected for obtaining poppy straw without extraction of opium. The cultivators whose fields are selected for such use shall be eligible for a license for the next crop year, if otherwise eligible.

v. For the purpose of making payment of opium tendered by the cultivator, the quantity of opium tendered by a farmer will be calculated at 70° consistency, on the basis of analysis by the Government Opium and Alkaloid Works, Neemuch or Ghazipur.

vi. In respect of cultivators having opium cultivation license in a particular village but are having residence in adjacent village, such cultivators may be allowed to store opium in their residence, provided that there is continuous human settlement between such villages.

vii. If there is difference in any para of Hindi version of opium policy 2022-23 then English version of same shall be followed.

[F.No. N-14011/3/2022-NC.I]

T.K. SATPATHY, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13102022-239618
CG-DL-E-13102022-239618

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 689] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 13, 2022/आश्विन 21, 1944
No. 689] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 13, 2022/ASVINA 21, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 2022

सा.का.नि. 775(अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना, संख्या 3/2022-स्वापक नियंत्रण -1, दिनांक 28 सितंबर, 2022 जिसे सा.का.नि. संख्या 739 (अ), दिनांक 28 सितंबर, 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), में प्रकाशित किया गया था, में

(i) पैरा 2 (ix) के बाद, निम्नलिखित को अंतःस्थापित करें

2(x). फसल वर्ष 2021-22 के लिए फार्म नंबर 1 (नियम 7 देखें) में कॉलम संख्या 11 में पात्र मृतक किसान द्वारा नामित किसान।

(ii) पैरा 6.i में "अफीम का मॉर्फिन अवयव" के स्थान पर, "बिना लांस वाले पोस्त भूस का मॉर्फिन अवयव" पढ़ें।

(iii) पैरा 8 (vi) में "किसानों को अफीम को स्टोर करने की अनुमति दी जाए" के स्थान पर, "किसानों को बिना लांस वाले पोस्त कैप्सूल को भूस सहित स्टोर करने की अनुमति दी जाए" पढ़ें।

[फा. सं. एन-14011/03/2022-एनसी.I]

दिनेश बौद्ध, निदेशक (स्वापक नियंत्रण)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 13 October, 2022

G.S.R. 775(E).—In the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance, Department of Revenue, No. 3/2022-Narcotics Control-1, dated the 28th September, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 739 (E), dated the 28th September, 2022,

i. After para 2 (ix), *insert*

   2(x). Cultivator who is nominated by deceased eligible cultivator in column No. 11 in Form No. 1 (see rule 7) for the crop year 2021-22.

ii. In para 6.i. *for* "morphine content of opium", read "morphine content of un-lanced poppy straw".

iii. In para 8. vi. *for* "cultivators may be allowed to store Opium", *read* "cultivators may be allowed to store "un-lanced poppy capsule along with straw".

[F. No. N-14011/03/2022-NC.I]

DINESH BOUDDH, Director (Narcotics Control)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.10.13 16:20:43 +05'30'